



COURT FEE

Rs ≈ 0000100 ≈ 13.6.2014

Authorization No. 41

375342

BIHAR

INDIA

Zero*Zero*Zero*Zero*OneZero*Zero**

5206 681456

भाग-IV

शपथ-पत्र का प्रारूप

शपथ-पत्र 05 सीतामढ़ी जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (जिला, राज्य का नाम क्षेत्र)

श्री/श्रीमती/सुश्री 31 जून कुमर सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री निरंजन प्रेम आयु 37 वर्ष

निवासी एतद्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ :-

(1) यह कि मैं की लोक सभा/विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, जिसका परिणाम को घोषित किया गया था।

(2) यह कि उपरोक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक (वह तारीख जब मुझे नामांकित किया गया था) एवं इसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने मेरे एवं मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत सभी व्यक्तियों का पृथक एवं सही लेखा रखा है।

(3) यह कि उक्त लेखा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर, इस लेखा में उल्लिखित वाउचर/बिल के साथ संलग्न है।

(4) यह कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें इसमें शामिल हैं एवं उनमें (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के संबंध में किए गए व्यय को छोड़ कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है।

(5) यह कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के संलग्नक-11 में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/ अन्य संगठन/ मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं।

(6) यह कि पूर्व पैरा (1) से (5) तक में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और इनमें कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी 815748711

मेरे समक्ष 2014 के इस 13 दिनों में 13 द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ ली गई।

(साक्षात्कृत प्राधिकारी, अर्थात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर तथा मुहर)

शपथ कर्ता अनुराग कुमार
पेना/पति का नाम निरंजन प्रेम
जन्म तिथि 13.06.14
अधिकारी श्री 815748711

815748711
सीतामढ़ी

पूर्ण हस्ताक्षर
अधि० लिपिक
लाई० नं०

शशिराज प्रिंटेर्स, डुमरा, सीतामढ़ी

P.S. RAY
13-06-14

Ms. Maito
Library
1000



RECEIVED THE LIBRARY &
ST. PAUL'S COLLEGE, MUMBAI
MUMBAI



Ms. Maito
Library
1000

निर्वाचन व्यक्तियों का प्रारम्भिक		
भाग-- I		
I	अभ्यर्थी का नाम अजय कुमार	श्री / श्रीमती / कुमारी
II	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम 05-सीतामढ़ी-	
III	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम बिहार-	
IV	निर्वाचन का स्वरूप (राज्य विधान सभा/लोक सभा के साक्षरण निर्वाचन/उप-निर्वाचन का उल्लेख करें) लोकसभा 2014	
V	परिणाम घोषणा की तारीख 10/5/2014	
VI	निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता	
VII	यदि अभ्यर्थी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो कृपया उस राजनैतिक दल के नाम का उल्लेख करें	
VIII	क्या राजनैतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है?	हां/नहीं

दिनांक :

स्थान :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर



Handwritten text, possibly a date or reference number.

Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text

Handwritten text at the bottom left.



भाग-II अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण

क्र.सं.	विवरण	अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय (रूपये में)	राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (रूपये में)	अन्यों द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (रूपये में)	कुल निर्वाचन व्यय (स्तम्भ 3, 4 एवं 5 का जोड़)
1	2	3	4	5	6
I	जन सभाएं, रैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय I क : जन सभा, रैली जुलूस, इत्यादि पर व्यय (अर्थात् : राजनैतिक दल के स्टार प्रचारक सहित होने वाले आयोजनों को छोड़कर) (अनुबंध 1 के अनुसार संलग्न करें)	29149520			
	I ख : स्टार प्रचारक (कों) के साथ जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात् : साधारण पार्टी प्रचार वाले आयोजनों को छोड़कर) (अनुबंध 2 के अनुसार संलग्न करें)				
II	क्रम संख्या - I में उल्लिखित जन सभाओं, रैलियों जुलूस इत्यादि में				

	प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री (अनुबंध 3 के अनुसार संलग्न करें)				
III	केवल नेटवर्क, बल्क एस एम एस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची 4 के अनुसार संलग्न करें)	39720200			
IV	अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (नों) पर व्यय (अनुसूची 5 के अनुसार संलग्न करें)	21585000			
V	प्रचार कार्यकर्ताओं/अभिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची 6 के अनुसार संलग्न करें)	1072500			
VI	अन्य कोई प्रचार व्यय	2520000			
	कुल योग	29149500			

भाग-III अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों के स्रोत का सार

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपये में)
1	2	3
I	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची 7 के अनुसार संलग्न करें)	
II	पार्टी (टिप्पणियों) से नकदी या चेक इत्यादि में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 8 के अनुसार संलग्न करें)	

	अनुसार संलग्न करें)	
III	किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 9 के अनुसार संलग्न करें)	
	कुल	

भाग-IV

शपथ-पत्र का प्रारूप

.....जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (जिला, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र)

श्री/श्रीमती/सुश्री.....सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....आयु.....वर्ष

निवासी एतद्द्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ :-

(1) यह कि मैं की लोक सभा/विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, जिसका परिणाम को घोषित किया गया था ।

(2) यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक (यह तारीख जब मुझे नामांकित किया गया था) एवं इसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने मेरे एवं मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखा है।

(3) यह कि उक्त लेखा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर, इस लेखा में उल्लिखित वाउचर/बिल के साथ संलग्न है ।

(4) यह कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें इसमें शामिल हैं एवं उनमें (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के संबंध में किए गए व्यय को छोड़ कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है ।

(5) यह कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के संलग्नक-11 में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/ अन्य संगठन/ मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं ।

(6) यह कि पूर्व पैरा (1) से (5) तक में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और इनमें कुछ भी गलत नहीं है, एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है ।

अभिसाक्षी

मेरे समक्ष 201 के इस दिन में द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ ली गई।

(साक्षात्कन प्राधिकारी, अर्थात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर तथा मुहर)

पावती प्रपत्र

सेवा में,

रिटनिंग अधिकारी

.....
.....
.....

महोदय,

मैं अपने निर्वाचन व्यय के लेखा के रख-रखाव के लिए अन्य दस्तावेजों सहित.....
क्रम सं० वाले रजिस्टर तथा इसके अनुलग्नकों सहित आपके दिनांकके पत्र संख्या
की पावती देता हूँ।

2. मैंने निर्वाचन व्ययों के लेखे के रख-रखाव और उस लेखे की सत्य प्रति और निर्वाचन
अधिकारी/रिटनिंग अधिकारी को दाखिल करने संबंधी विधि की अपेक्षाओं को नोट कर लिया है।

भवदीय,

Silamgum 13/6/2014
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित)

*जो लागू न हो, उसे काट दें :-

पावती (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

.....(निर्वाचन क्षेत्र) के परिणाम, जो(तिथि) को घोषित किया गया था, के संबंध में निर्वाचन व्ययों
का लेखा.....(तिथि) को उनकी ओर से उनके द्वारा दाखिल किया गया था, मैंने आज(वर्ष)
के.....(महीने) केदिनांक को प्राप्त किया।

जिला

जिला निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय मुहर

अनुसूचियां- 1 से 9 : निर्वाचन निधियों एवं अभ्यर्थी के व्यय का विवरण

अनुसूची-1					
जनसभा/रैली/जुलूस आदि (अर्थात राजनैतिक दल के स्टार प्रचारक के साथ से अन्य) में व्यय					
क्रम सं०	व्यय का स्वरूप	कुल धन राशि, रुपये में	व्यय के स्रोत		
			अभ्यर्थी/अभिकर्ता द्वारा उपगत/अधिकृत राशि	राजनैतिक दलों के नाम सहित उपगत राशि	अन्यों के द्वारा उपगत राशि
1	2	3	4	5	6
1	आगंतुकों के परिवहन के लिए वाहन				
2	मंच, पंडाल एवं फर्नीचर, फिक्सचर, पोल आदि तैयार करना				
3	तोरण एवं बैरिकेड आदि				
4	फूल/माला				
5	लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्प्लिफायर, मिलानकर्ता आदि भाड़े पर लेना	5630000			
6	पोस्टर, हैंडबिल, पैम्पलैट, बैनर, कट आउट, होर्डिंग	1242500			
7	पेय जैसे चाय, पानी, कोल्डड्रिंक जूस आदि				
8	डिजिटल टी वी- बोर्ड डिसप्ले, प्रोजेक्टर डिसप्ले, टिकर बोर्ड, 3डी डिसप्ले				

9	गण्यमान्य व्यक्तियों पर व्यय, संगीतज्ञों को भुगतान, अन्य कलाकारों का पारिश्रमिक आदि				
10	प्रकाश की मदद जैसे पंक्तिबद्ध लाइट, बोर्ड आदि				
11	परिवहन पर व्यय, हेलीकाप्टर/एयरक्राफ्ट/वाहन/नाव आदि का प्रभार (स्वयं, गण्यमान्य व्यक्ति या स्टार प्रचारक के अलावा कोई अन्य प्रचारक के लिए)				
12	विद्युत खपत/जनेरेटर प्रभार				
13	स्थल के लिए किराया				
14	गार्ड एवं सुरक्षा प्रभार				
15	स्वयं, गण्यमान्य व्यक्ति, दल कार्यकर्ता या स्टार प्रचारक सहित कोई अन्य प्रचारक के लिए रहने व खाने का व्यय				
16	अन्य व्यय				

कुल

अनुसूची-2

स्टार प्रचारक (कों) के साथ सार्वजनिक बैठक, रैली, जुलूस आदि में अभ्यर्थी पर यथा संभाजित व्यय (सिवाय उन व्ययों जके जो सामान्य दल प्रचार पर किए गए हैं)

क्रम सं०	दिनांक एवं स्थान	स्टार प्रचारक (कों) के नाम एवं दल का नाम	स्टार प्रचारक (कों) के साथ सार्वजनिक बैठक, रैली, जुलूस आदि में अभ्यर्थी पर यथा संभाजित व्यय (सिवाय उन व्ययों के जो सामान्य दल प्रचार पर किए गए हैं) की राशि रुपये में	टिप्पणी यदि कोई हो

1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

कुल

अनुसूची-3

अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार के लिए प्रचार सामग्री जैसे हैंड बिल, पैम्पलैटस, पोस्टरों, होर्डिंग, बैनरों, कट आउट्स, गेट एवं आर्च, वीडियो एवं ऑडियो कैंसट्स, सी.डी./डी.वी.डी., लाऊड स्पीकरों, एम्पलिफायरों, डिजिटल टी.वी./बोर्ड डिसप्ले, 3 डी डिसप्ले आदि पर व्यय का विवरण (अर्थात : अनुसूची -1 एवं 2 में शामिल के अलावा)

क्रम सं०	व्ययों का स्वरूप	कुल धन राशि, रुपये में	व्यय के स्रोत			टिप्पणी, यदि कोई हो
			अभ्यर्थी/एजेंट द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्यों द्वारा राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	ध्वनि-वीडियो क्लिप -	36300				
2	संगीत वीडियो क्लिप -	3420				
3						
4						

कुल

39720/-

अनुसूची-4

केबल नेटवर्क, थोक एस एम एस या इन्टरनेट या सोशल मीडिया आदि के माध्यम से अभ्यर्थी के लिए प्रचार

पर व्यय का विवरण

क्रम सं०	माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट) और अवधि का स्वरूप	मीडिया प्रदाता का नाम व पता (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक / एस एम एस / वाईस / केबल टी.वी, सोशल मीडिया आदि)	एजेंसी, रिपोर्टर, स्ट्रिन्जर, कम्पनी या कोई व्यक्ति जिसको भुगतान किया / देय हो का नाम एवं पता, यदि कोई हो	कुल धन राशि, रूपये में स्तम्भ (3)+(4)	व्यय के स्रोत		
					अभ्यर्थी / एजेंट द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्यों द्वारा राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
कुल							

1	प्रचार कार्यकर्ताओं के मानदेय/वेतन इत्यादि					
2	भोजन की व्यवस्था	10725				
3	रहने की व्यवस्था					
4	अन्य					

कुल 10725 = 0

अनुसूची-7

निर्वाचन प्रचारण के प्रयोग में लाई गई स्वयं की निधि का विवरण

क्रम सं०	दिनांक	नकदी	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक सं० आदि	कुल धन-राशि रुपये में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

कुल

अनुसूची-8

पार्टी (यो) से प्राप्त नकदी या चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट या खाता स्थानांतरण द्वारा कुल धन राशि का विवरण

क्रम सं०	राजनैतिक दलों के नाम	दिनांक	नकद	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक सं० आदि	कुल धन-राशि रुपये में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

1						
2						
3						
4						

कुल

अनुसूची-9

किसी व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संघ/व्यक्तियों के निकाय इत्यादि द्वारा कर्ज; उपहार या दान आदि के रूप में प्राप्त कुल धन राशि का विवरण

क्रम सं०	नाम एवं पता	दिनांक	नकद	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक सं० आदि	यदि कर्ज उपहार या दान आदि का विवरण	कुल धन-राशि रुपये में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							

कुल

ध्यान दें :-

1. अनुसूची 5 में :-

(क) आदेश की प्रति, जिसमें सभी वाहनों की सूची निहित है, जिसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परमिट जारी किए गए हैं, संलग्न की जानी है।

(ख) यदि अभ्यर्थी/उसके रिश्तेदार/एजेंट का वाहन निर्वाचन कार्यों के प्रयोग में लाया जा रहा है, तो ऐसे सभी वाहनों को किराए पर लेने का कल्पित किराया, केवल एक वाहन को छोड़कर जो अभ्यर्थी का है और

✓

उसके प्रयोग में लाया जा रहा है, ईधन का कल्पित किराया और ऐसे वाहनों के चालक का वेतन, उपरोक्त सारणी में व्यय की कुल धन राशि में जोड़ा जाएगा।

2. सभी अनुसूचियों में वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा; या किसी व्यक्ति/कम्पनी/कर्म/संघों/व्यक्ति निकाय आदि द्वारा अभ्यर्थी के पक्ष पर उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का कल्पित किराया ऊपर दिए संबंधित कॉलमों में दर्शाया जाना चाहिए।

3. भाग-III में, राजनैतिक दल या अन्यो से प्राप्त निधि तथा अभ्यर्थी की स्वयं की कुल धन-राशि का तिथिवार उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में ऐसी धन राशि निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए अभ्यर्थी के बैंक खाते में पहले जमा करा देनी चाहिए।

4. सार विवरणी का प्रत्येक पृष्ठ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

